

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ  
संख्या-एम0ई0-3/2015/

लखनऊ:दिनांक: 12 जून 2015

सी0पी0एम0टी0-2015 हेतु विकलांग उपश्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों के परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड के गठन के संबंध में  
आवश्यक सूचना

सी0पी0एम0टी0 2015 की परीक्षा में अर्ह घोषित विकलांग उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र जारी करने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी एवं गोरखपुर में दिनांक 19 जून 2015 (दिन शुक्रवार) को मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। विकलांग उपश्रेणी के अर्ह अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि को उपरोक्त में से किसी भी कालेज में उपस्थित होकर विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

2- सी0पी0एम0टी0 2015 के पृष्ठ संख्या-29 के प्रमाण पत्र नं-3 "विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप (UPPH)" की प्रथम पंक्ति में सी.पी.एम.टी.-2015 के स्थान पर त्रुटिवश सी.पी.एम.टी.-2012 अंकित हो गया है, जिसे सी.पी.एम.टी.-2015 पढ़ा जाए।

महानिदेशक